

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इन्जिथियल्स जज निगरानी / एल आर / 7968 / 2006 / जालौर गमाराम बनाम जोरा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p style="text-align: center;">एकलपीठ</p> <p style="text-align: center;">डॉ० श्रवणकुमार बुनकर, सदस्य</p> <p>उपस्थित</p> <p>श्री उम्मेद सिंह राठौड़, अभिभाषक प्रार्थी श्री विजय पुरोहित, अभिभाषक अप्रार्थी</p> <p style="text-align: center;">निर्णय</p> <p style="text-align: center;">दिनांक 30-8-2022</p> <p>1- यह निगरानी अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25-6-99 के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 84 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2- प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सायला तहसील जालौर के खसरा नंबर 1008 रकबा 45 बीघा किस्म चाही खसरा नंबर 1008/1 रकबा 1 बीघा किस्म गैर मुमकिन का नामान्तरकरण 766 तहसीलदार जालौर द्वारा स्वीकृत किया। उक्त आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील उपजिला कलेक्टर जालौर के समक्ष प्रस्तुत की गई जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 13-6-94 द्वारा अपील स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 766 निरस्त कर दिया व प्रकरण अतिरिक्त तहसीलदार, सायला को प्रतिप्रेषित कर दिया। उक्त आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 25-6-99 से अपील खारिज कर दी। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 25-6-99 से व्यथित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।</p> <p>3- प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय द्वारा जो नामान्तरकरण संख्या 766 निरस्त किया है, वह विरासत का नामान्तरकरण है जिसमें किसी के अधिकारों का हनन नहीं हुआ है। खातेदार के पिता के फौत होने पर उसके वारिसान के नाम नामान्तरकरण तस्दीक किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी, जालौर के आदेश दिनांक 24-8-68 के तहत जो शुद्धि पत्र भरा गया था, उस आदेश के विरुद्ध अप्रार्थी द्वारा कोई चुनौती नहीं दी है। वक्त सेटलमेंट विवादित भूमि प्रार्थी के पूर्वजों के नाम थी। उसके बाद प्रार्थी</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / एल आर / 7968 / 2006 / जालौर गमाराम बनाम जोरा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>के नाम दर्ज है। विचारण न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण निरस्त कर प्रकरण प्रतिप्रेषित करने का कोई औचित्य नहीं था । अतः निगरानी स्वीकार कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय निरस्त किए जावें ।</p> <p>4- अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के अनुरूप है। समवर्ती निष्कर्षों पर आधारित निर्णय है जिनमें निगरानी के स्तर पर हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं है । अतः निगरानी खारिज की जावे ।</p> <p>5- हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं निगरानी आदेश का अवलोकन किया</p> <p>6- पत्रावली में संलग्न नामान्तरकरण संख्या 766 के अवलोकन से प्रकट होता है कि उक्त नामान्तरकरण में परबा के फौत होने पर उसके सगे भाई का लडका हडमता 1/2 हिस्सा व अखा के फौत होने पर उसके जाईन्दा लडकों मादा, तेजा पि0 अखा 1/2 पर काबिज है। उक्त नामान्तरकरण में यह भी अंकन किया गया है कि परबा फौत उसके कोई पुत्र नहीं है वारिस सगे भाई रूपा का पुत्र हडमता है । अतः उसके बजाय 1/2 हिस्से पर हडमता व 1/2 हिस्से पर अखा के पुत्र मादा, वेजा पि0.अखा के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाता है । इसी प्रकार मौका रिपोर्ट दिनांक 10-9-99 का भी अवलोकन किया जिसके अनुसार “ खसरा नंबर पुराना 1008 व 1008 की विवादित आराजी का पता लगाने पर पाया कि परबा पुत्र लकमा जाति पुरोहित नाम का व्यक्ति ग्राम रेवतडा में कभी भी अस्तित्व में नहीं था जबकि परबा पुत्र पन्ना जाति मेघवाल नाम व्यक्ति था जिसके खसरा नंबर 1008 व 1008/1 पर कब्जा था और है और जानकारी करने पर पाया गया कि रेकार्ड में कॉट छोट कर गलत नामान्तरकरण भरा गया था । अतः ग्राम पंचायत रेवतडा से चाहे तो वंशावली मंगाकर जांच कर सकते है । खसरा गिरदावरी संवत 2012 से 2015 व 2016 से 2019 में भी केसरिया पुत्र परका कौमा भी दर्ज है।</p> <p>इस प्रकार पटवारी, सायला की मौका रिपोर्ट के अनुसार भी परबा पुत्र लकमा जाति पुरोहित नाम का व्यक्ति ग्राम रेवतडा में कभी अस्तित्व में नहीं था । अतिरिक्त कलेक्टर, जालौर द्वारा अपने आदेश दिनांक 13-6-94 द्वारा यह अंकन कर प्रकरण अतिरिक्त तहसीलदार, सायला को प्रतिप्रेषित किया है कि वे विवादित खसरा नंबर पर विस्तृत जांच करे कि खातेदार परबा पुत्र पन्ना या परबा पुत्र</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इन्जिथियल्स जज निगरानी / एल आर / 7968 / 2006 / जालौर गमाराम बनाम जोरा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>लकमा पुरोहित ग्राम रेवतडा में नाम का कोई व्यक्ति है या नहीं और यदि यह व्यक्ति न तो विवादित खसरा नंबर का खातेदार कौन था एवं उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। जिसके विरुद्ध अपील प्रस्तुत होने पर अतिरिक्त संभागीय आयुक्त द्वारा द्वारा भी विचारण न्यायालय के आदेश को विधिसम्मत मानते हुए किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर विचारण न्यायालय के आदेश को यथावत रखा है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत है जिनमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा कि डी.एन.जे. 2020 पृष्ठ 572 पर अभिनिर्धारित है। हमारी राय में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय समवर्ती निष्कर्षों पर आधारित निर्णय है जिनमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है । जैसा कि आर.बी.जे. 2018 पृष्ठ 215 उनवानी श्री चारभुजा जी बनाम हीरादास पर यह अभिमत निर्धारित किया है कि</p> <p>“जब अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों में किसी प्रकार की कानूनी अथवा क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि नहीं है, तब द्वितीय अपील के स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप न्यायोचित नहीं है जो अभिवाक प्रारंभिक स्तर पर नहीं उठाया उसे द्वितीय अपील के स्तर पर नहीं उठाया जा सकता” ।</p> <p>इसी प्रकार आर.आर.डी. 2007 पृष्ठ 587 पर माननीय उच्च न्यायालय की रिट पीटीशन सं० 1231/1998 उनवानी गणेश बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में भी यही मत अभिनिर्धारित किया है कि—</p> <p>Held, the concurrent findings of fact arrived at by the two courts below could not have been interfered with in second appeal by Board of Revenue.</p> <p>ऐसे विधिसम्मत आदेशों में निगरानी के माध्यम से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है ।</p> <p>7— उक्त विवेचन के आधार पर यह निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है ।</p> <p>निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।</p> <p style="text-align: right;">(डॉ० श्रवण कुमार बुनकर) सदस्य</p>	